जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 20.04.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 493/23 धारा 420/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 21.12.2023 को वादी श्री इवरान पुत्र अब्दुल समी निवासी ग्राम लिन्डरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियक्त नौशाद पुत्र जहूर अहमद निवासी ग्राम खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादी से धोखाधडी कर गाडी नाम कराने को लेकर पैसे हडप लिये तथा अभियुक्त नौशाद व ताजमील ने वादी को जान से मारने की नियत से फायर किया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 493/23 धारा 420/406/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307 भादवि का लोप किया गया।

<u>कार्यवाही –</u>

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.04.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 493/23 धारा 420/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र जहूर अहमद नि0 ग्राम खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

1. नौशाद पुत्र जहूर अहमद निवासी ग्राम खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1– उ0नि0 श्री राकेश कुमारा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2– मुख्य आरक्षी 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3– आरक्षी 769 नरेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ **दिनांक – 20.04.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 02 अभियुक्तों को सैन्ट्रो कार में एक जीवित गौवंशीय पशु व पशु कटान के उपकरणों सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व गौकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.04.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक सैन्ट्रो कार रजि0 नं0 DL4CND0833 को रोककर चेक किया गया तो गाडी की डिग्गी से एक जीवित गोवंशीय पशु (रंग काला), एक लोहे का फरसा, दो छुरी, एक फर्जी आधार कार्ड, रस्सा आदि सहित अभियुक्तगण 1.अनस पुत्र छुन्नू निवासी ग्राम मलकपुर सेवली थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद 2.नईम पुत्र शाबिर हुसैन निवासी ग्राम जयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 420/471 भादवि, धारा 3/8 गोवध अधिनियम व धारा 11(1) पशु क्रूरता अधि0 बनाम अनस आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह गोवंशीय पशु हमने ग्राम जयनगर के जंगल से पकडी थी तथा इसे काटने के लिये ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.अनस पुत्र छुन्नू निवासी ग्राम मलकपुर सेवली थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

2.नईम पुत्र शाबिर हुसैन निवासी ग्राम जयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक सैन्ट्रो गाडी रजि0 नं0 DL4CND0833 (रंग सिल्वर)

एक गौवंशीय पशु (रंग काला)

पशु कटान के उपकरण (एक लोहे का फरसा, दो छूरी, एक रस्सा, एक फर्जी आधार कार्ड)

अभियुक्त अनस का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 572/22 धारा 379/411 भादवि, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

2.मु0अ0सं0 206/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना ठाकुद्वारा जनपद मुरादाबाद

3.मु0अ0सं0 26/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

4.मु0अ0स0 124/24 धारा 420/471 भादवि, धारा 3/8 गौवध अधिनियम व धारा 11(क) पशु क्रूरता अधि0 थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

अभियुक्त नईम का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 124/24 धारा 420/471 भादवि, धारा 3/8 गौवध अधिनियम व धारा 11(क) पशु क्रूरता अधि0 थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 60 राकेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.कां0 2335 विजय तोमर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 20.04.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0स0 180/24 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.04.2024 को वादी मेहर आलम पुत्र तनवीर अहमद निवासी मौहल्ला काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 18.04.2024 को वादी के भाई डॉ0 कमरुजमा के साथ उनके क्लीनिक के अंदर घुसकर अभियुक्तगण 1. ओसामा पुत्र जहीरुद्दीन 2. अजरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन 3. शारिक पुत्र जहीरुद्दीन 4. आमिर पुत्र जहीरुद्दीन 5. कमील पुत्र जहीरुद्दीन 6. इजरा पुत्र जहीरुद्दीन 7. राबिया पत्नी जहीरुद्दीन समस्त निवासीगण ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला किया जिससे वह बेहोश हो गया तथा वादी के साथ भी मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 180/24 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 180/24 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्तों 1.ओसामा पुत्र जहीरुद्दीन 2.शारिक पुत्र जहीरुद्दीन 3.आमिर पुत्र जहीरुद्दीन समस्त निवासीगण ग्राम खेडकी थाना चांदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. ओसामा पुत्र जहीरुद्दीन नि0 ग्राम खेडकी थाना चांदपुर बिजनौर

2. शारिक पुत्र जहीरुद्दीन नि0 ग्राम खेडकी थाना चांदपुर बिजनौर

3. आमिर पुत्र जहीरुद्दीन नि0 ग्राम खेडकी थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1- उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2- का0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3- हो0गा0 10327 कुलवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर